

श्रीमान तहसीलदार महोदय टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार
ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर

प्रार्थी हक़त्यागग्रहिता

बनाम
गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार
निवासी -मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार

विपक्षी हक़त्यागकर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109-110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने विपक्षी से निम्न वर्णित भूमि को बजरी हक़त्याग विलेख क्रमांक **MP464646446** दिनांक **01-10-2023** के क्रय की है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है।

सर्वे नम्बर **1280** रकबा **0.87** हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर **01** कुल रकबा **0.87** हेक्टेयर गांव का नाम कर्णखेड़ी जहां भूमि स्थित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण किया जावे।

दिनांक -

हस्ताक्षर प्रार्थी

फार्म अ
(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश - पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा के न्यायालय में मामला क्रमांक 0896/अ-6/2023-24 विषय हकृत्याग विलेख के आधार पर नामांतरण बाबत प्रकरण की श्रेणी जाँच प्रतिवेदन ग्राम कर्णखेड़ी बंदोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक 08 मंदसौर कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक सन 20 - 20 तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक.....सन 200 -200 तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 0896 सन 20 -20

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही (2)	जहा आवश्यक हो पर्ची अथवा वकीलों के हस्ताक्षर,आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख (3)
___/___/2023	<p>आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर द्वारा म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर विक्रेता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार के स्थान पर हकृत्याग विलेख क्रमांक MP464646446 दिनांक के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।</p> <p>- प्रकरण दर्ज हो । - विज्ञप्ति जारी हो । - पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे । - हितबद्ध पक्षकार तलब हो ।</p> <p>पेशी दिनांक / /2023</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार टप्पा कयमपुर</p> <p>तहसील दल्लौदा</p>	<p>SL-</p> <p>Date- / /2023 विज्ञप्ति,पटवारी लेटर एवं नोटिस</p>

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक /री-1/2023

टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, दिनांक / /2023

प्रति,

SL -

पटवारी

ग्राम- कर्णखेड़ी

Date- / /2023

विषय :- नामांतरण प्रकरण में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक हकृत्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दल्लौदा, जिला मंदसौर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हकृत्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी- के स्थान पर हकृत्याग विलेख क्रमांक MP464646446 के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24 न्यायालय में प्रचलित है । अतः उक्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।

1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?
2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?
3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?
4. म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?
5. वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?
6. मौके पर भूमि सिंचित है या असिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा असिंचित है ?
7. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?
8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा, अथवा किसी की आपत्ति है या नहीं ?
9. नामांतरण किये जाने की अनुसंशा है अथवा नहीं ?

उक्त रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत की जावें । नियत पेशी दिनांक तक प्रकरण में आपकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उक्त नामांतरण प्रकरण में आपकी अनुसंशा मानी जाकर एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी । एक तरफा कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण में आपत्ति/विवाद होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे ।

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

(मामले वाद धारा 109, 110 म.प्र.भू.राजस्व संहिता नामांतरण)

SL-

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

Date- / /2023

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हकृत्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दल्लौदा, जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत कर हकृत्याग विलेख के आधार पर हकृत्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी के स्थान पर नामांतरण हेतु इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

अतएव जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम कर्णखेड़ी अथवा न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा में प्रस्तुत करें। अवधि गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक / /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

प्रतिलिपि :-

1. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
2. एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
3. एक प्रति बाद निर्वाहन वापस हो।

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष तहसीलदार स्थान दल्लौदा मामले
के विषय नामांतरण मामला

SL-

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

Date- / /2023

श्री/श्रीमती आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दल्लौदा, जिला मंदसौर

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय तहसीलदार दल्लौदा पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामिल करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो।

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष तहसीलदार स्थान दल्लौदा मामले
के विषय नामांतरण मामला

SL-

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

Date- / /2023

श्री/श्रीमती आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दल्लौदा, जिला मंदसौर

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय तहसीलदार दल्लौदा पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामिल करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो ।

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

हक्रत्यागग्रहिता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार
उम्र -
व्यवसाय -
निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा हक़त्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार, टप्पा कयमपुर तहसील-दल्लौदा, जिला -मंदसौर से ग्राम कर्णखेड़ी तहसील मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर विक्रय मूल्य रुपये..... मे क्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मूल्य मेरे द्वारा हक़त्यागकर्ता को अदा कर दिया है। आवेदित भूमि पर हक़त्यागकर्ता के स्थान पर मेरा नामांतरण किया जावे।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

हक़्त्यागकर्ता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार
उम्र -
व्यवसाय -
निवासी - मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा हक़्त्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर से ग्राम हक़्त्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर विक्रय मूल्य रुपये में विक्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मूल्य मेरे द्वारा हक़्त्यागग्रहिता से प्राप्त कर लिया है। आवेदित भूमि पर मेरे स्थान पर हक़्त्यागग्रहिता का नामांतरण किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

कार्यालय पटवारी हल्का नम्बर 08 ग्राम कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला - मंदसौर (म.प्र.)

विषय :- नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0896 /अ-6/2023-24 दिनांक / /2023 के पालन में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दल्लौदा, जिला मंदसौर द्वारा ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर हेक्टर पर नामांतरण किये जाने हेतु जाँच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र.	जाँच के बिन्दु	
1	राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?	
2	राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?	
3	राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?	
4	म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?	
5	वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?	
6	मौके पर भूमि सिंचित है या अंसिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा अंसिंचित है ?	
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?	
8	कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख तो नहीं है ?	
9	उक्त भूमि पर बैंक बंधक है या नहीं	
10	नामान्तरण किये जाने कि अनुसंशा है अथवा नहीं ?	

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, जिला - मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - 0896/अ-6/2023-24

मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार,
निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(हक्रत्यागग्रहिता).....आवेदक

विरुद्ध

गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार
निवासी - मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार (म.प्र.)
(हक्रत्यागकर्ता).....अनावेदक

//आदेश//

पारित दिनांक - ____/____/2023

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण संबंधी)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक (हक्रत्यागग्रहिता) मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी- ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) के द्वारा भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत हक्रत्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार (म.प्र.) के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP464646446 दिनांक 01-10-2023 के आधार पर ग्राम - कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया । आवेदक ने आवेदन के समर्थन में खसरा बी- 1 रजिस्टर्ड दानपत्र, हक्रत्यागकर्ता का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयावधि उपरांत आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में मौजा पटवारी कर्णखेड़ी से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है - 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि नहीं है 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में विक्रेता के नाम से दर्ज है 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि नहीं है 4. म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित नहीं है 5. कब्जे संबंधी विवरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित है 6. मोक़े पर भूमि सिंचित हैं । 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हैं । 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख नहीं है 9. उक्त भूमि बैंक में बंधक दर्ज नहीं है । राजस्व रिकार्ड में हक्रत्यागकर्ता का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज होना बताया व रिकार्ड अनुसार नामान्तरण किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी ।

मेर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन अध्ययन व परीक्षण किया गया जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हक्रत्यागकर्ता का शपथ पत्र, पटवारी मौजा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए, ग्राम कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हक्रत्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी - ग्राम मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार (म.प्र.) के स्थान पर आवेदक (हक्रत्यागग्रहिता) मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) का नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है । मौजा पटवारी को पृथक से आदेश जारी कर 07 दिवस में संशोधित खसरा प्रति मंगाई जाये । बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दायर रिकार्ड दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक / /2023 को मेरे बोलने पर टंकन
किया गया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा

क्रमांक /री-1/2023

टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि,

पटवारी मोजा कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन
प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा